

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज</p>
<p>5<sup>3</sup>/<sub>26</sub></p>	<p>पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित बदल हेतु आदेश कावत डिमांड प्रॉपत्र एक पत्रिका बदल सुनी पावती (पत्रावली डिमांड 2-4-26 को पेश हो)</p> <p style="text-align: right;">U my 05/3/26</p>
<p>02/4/26</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बदल प्रॉपत्र कावत प्रॉपत्र 212 खारिज करने सुनी गई। पत्रावली वाले आदेश प्रॉपत्र दि: 14/05/26 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">U my 14/4/26</p>
<p>14/5/26</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष कारण उपस्थित। बदल वाले आदेश डिमांड 08/6/26 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">U my 14/5/26</p>
<p>08/06/26</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बदल प्रॉपत्र के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अंश- लोकन किया गया। इस सम्बन्ध में सिगलिं व</p>



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
---------------	--------------------------------------	---

डिवायन डिनॉस 31/03/2008 तथा अपीलियु न्यायालय  
 RAA को के निर्णय व डिवायन डिनॉस 08/04/2008  
 का भी सम्मान मध्यम सिद्ध गया / अपील  
 चक्रपुका की पदग्रहण न्यायाधी से प्राथमिकी वर्तमान  
 में ना तो recorded khatedar tenants हैं और  
 ना ही मौके पर कब्जेवास्त के सम्बन्ध में कोई  
 भी documentary or/and oral evidence पेश  
 किया गया है। Trial Court के judgements and  
 decrees dated 31/03/2008 को अपीलियु कोर्ट द्वारा  
 set aside किया जा चुका है मतः अत्याई निषेध  
 के लिये आवश्यक तीनों बिन्दु - Case prima facie  
 balance of Convenience and irreparable loss - साबित  
 नहीं होने से प्राथमिकी का प्रारंभ कर खारिज न  
 जाय है / प्रकरण प्रसिद्ध होकर नम्बर से  
 कम होकर मूकवास के साथ चलने ही।



11/11/2026  
 04/16/2026  
 उपखण्ड अधिकारी  
 पिड़ाना, जिला कन्नड़ (स.प.)